संख्या-13/2021/744/86-2021-201/2014टीसी

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 2 जून, 2021

विषयः-उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के संचालित निर्माण कार्य हेतु खनन क्षेत्र को आरक्षित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2066/एम0-21ए पूर्वान्चल एक्स/2017 (यूपीडा-2), दिनांक 01.02.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथासंशोधित) के नियम-68क के अन्तर्गत जनपद-महोबा, तहसील-सदर, ग्राम-मकरबई गाटा संख्या-983, रकबा-19.626हे0 पर उपलब्ध ग्रेनाइट (खण्डा, गिट्टी, बोल्डर) खनन क्षेत्र को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के संचालित निर्माण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आरक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है-

(1) प्रश्नगत खनन क्षेत्र 02 वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित होगा।

(2) खनन पट्टा की अवधि पट्टा निष्पादन के दिनांक से प्रारम्भ होगी तथा खनन पट्टे की अवधि विस्तारित नहीं की जायेगी।

(3) खनन पट्टा यूपीडा के पक्ष में निष्पादित कर, नियमानुसार संचालन किया जायेगा। खनन पट्टा किसी अन्य के पक्ष में हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।

(4) खनन पट्टा अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही निष्पादित किया जायेगा। खनन योजना तैयार करने एवं पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दायित्व यूपीडा का होगा।

(5) खनन क्षेत्रों से खनिजों की निकासी तथा परिवहन मार्ग के निर्माण का दायित्व यूपीडा का होगा।

(6) शासकीय कार्य के अतिरिक्त पट्टाकृत भूमि से निकाले गये खनिज को किसी अन्य उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

(7) खनन पट्टे के सापेक्ष पट्टा वर्ष में रायल्टी के दोगुने की दर पर देय धनराशि का भुगतान उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 (यथासंशोधित) के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार किया जायेगा।

(8) पट्टाधारक द्वारा जमा की जाने वाली न्यूनतम् धनराशि की गणना के संबंध में 20,000 घन मी0 प्रति हे0 प्रतिवर्ष के आधार पर निर्धारित रायल्टी दर के दोगुने के अनुसार न्यूनतम वार्षिक धनराशि देय होगी। आवंटी द्वारा उक्त मात्रा से अधिक खनन किये जाने पर शासन द्वारा आवंटी हेतु निर्धारित दर के अनुसार देय राजस्व का भुगतान अलग से करना होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-70 के अधीन उपखनिजों के पारेषण (कन्साइनमेंट) हेतु ई-एम0एम0-11 प्रपत्र में पास जारी किया जायेगा।

(10) खनन योजना तथा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गयी शर्तों के अनुसार ही खनन कार्य किया जायेगा।

(11) यूपीडा को शासकीय देय यथा-आयकर, जिला खनिज विकास निधि, जी0एस0टी0 आदि नियमानुसार जमा कराना होगा।

(12) खनन पट्टे की अन्य शर्तें उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 यथासंशोधित एवं प्रचलित शासनादेशों के अनुसार होगी।

(13) स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा यदि कोई अतिरिक्त शर्त लगायी जाती है तो वह मान्य होंगी।

3. कृपया उक्तानुसार प्रश्नगत खनन क्षेत्र को आरक्षित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा0 रोशन जैकब
सचिव।

<u>प्रतिलिपि-संख्याः744(1)/86-2021, तद्दिनांकः-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मण्डलायुक्त चित्रकूटधाम, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, महोबा को संगत नियमावली, के प्राविधान के अन्तर्गत प्रश्नगत क्षेत्र के खनन पट्टे आवंटन/पट्टा विलेख निष्पादन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर अवगत कराने हेतु प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वितीय तल, पर्यटन भवन, सी-13, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in